दिनांक 13 जून 2022 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

किराएदारी में निवास कर रहे परिवारों को आवास लेने का सुनहरा मौका, आज से निगम ने आवेदन लेना किया प्रारंभ

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत शासन से स्वीकृत परियोजनाओं के तहत भिलाई निगम के विभिन्न स्थानों पर निर्मित आवासों में भिलाई के झुग्गी बस्ती एवं गैर झुग्गी बस्ती में निवासरत इच्छुक किराएदारी के रूप में या आवासहीन निवासरत परिवारों को सर्व सुविधा युक्त दो कमरों का पक्का के किफायती आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए आवेदन पत्र आज से भिलाई निगम ने लेना प्रारंभ कर दिया है। आवास प्राप्त करने के लिए इस की पात्रता रखना भी जरूरी है जिसके तहत निकाय क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 से पूर्व व्यक्ति को निवासरत होना चाहिए (मतदाता सूची , मतदाता परिचय पत्र , किरायानामा, निवास प्रमाण पत्र, वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम, तथा 100 रुपए के स्टांप प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र), पूरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए, प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है , छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र , जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इसके लिए आवश्यक होगा। आवेदन प्राप्त करने के लिए निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 योजना शाखा द्वारा जारी पंजीकृत आवेदन पत्र ही आवास आवंटन हेतु मान्य होगा। योजना शाखा के प्रभारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि आवेदन 100 रुपए शुल्क के साथ प्राप्त किया जा सकता है। अन्य किसी भी संस्थान से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र अमान्य होंगे।